

## भारत की निर्वाचन प्रणाली: चुनौतियां एवं समाधान

मनीषा चौधरी

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत

### सारांश

भारतीय चुनाव प्रणाली का अध्ययन विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक विशाल और अधिकांश लोगों को संबोधित करने वाली प्रणाली है जो एक व्यक्ति को उसकी सरकार चुनने की अधिकारिक शक्ति प्रदान करती है। यह अध्ययन भारतीय चुनाव प्रणाली के विभिन्न पहलुओं और उनकी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है तथा साथ ही इसे सुधारने के संभावित समाधानों को भी उजागर करता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में कई चुनौतियाँ हैं जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण चार मुख्य हैं – भ्रष्टाचार, धन की बहुमतवादी भूमिका, जातिवाद और क्षेत्रवाद। भ्रष्टाचार चुनाव प्रक्रिया को खतरे में डालता है, जबकि धन की बहुमतवादी भूमिका गरीबों को प्रतिस्थापित करती है। जातिवाद और क्षेत्रवाद के नारों के द्वारा नेता लोग अपनी जनता को आपस में बांटने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे सामाजिक एकता पर गहरा परिणाम पड़ता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। पहले, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े कानूनों को बनाने की जरूरत है और उनका पालन करने के लिए सख्त आदेश होने चाहिए। दूसरे, चुनावी व्यय को नियंत्रित करके धन के बहुमतवादी प्रभाव को कम किया जा सकता है और नियमित लेखा परीक्षण की प्रक्रिया को स्थापित किया जाता है। तीसरे, जातिवाद और क्षेत्रवाद का विरोध करने के लिए जागरूकता और शिक्षा की जरूरत है, साथ ही नेताओं के द्वारा इस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा को विरोधित किया जाना चाहिए। इस अध्ययन का उद्देश्य चुनाव प्रणाली की समस्याओं को समझना और उनका समाधान ढूँढना है, ताकि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय, सामर्थ्य और समर्थन का निर्माण हो सके।

**मूल शब्द:** बहुमतवादी, चुनाव प्रणाली, भ्रष्टाचार, अवधारणा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, मताधिकार

भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य है। लोकतंत्र, हमारे लिए 'हम भारत के लोग' की अवधारणा से निर्मित संविधान में स्थापित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सौहार्द के ताने-बाने में, रचा-बसा है। संविधान में परिकल्पित लोकतंत्र की अवधारणा में संसद और राज्य विधान सभाओं में निर्वाचन के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि लोकतंत्र भारत के संविधान की एक अभिन्न मूल विशेषता है और यह इसकी मूल संरचना का भाग है। भारत के संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अंगीकृत किया है। संसद में भारत के राष्ट्रपति एवं दा सदन राज्य सभा और लोक सभा आते हैं। राज्यों का संघ होने के नाते, भारत के प्रत्येक राज्य में अलग-अलग राज्य विधायिकाएँ होती हैं। संसद की ही भांति राज्य विधायिकाओं में राज्यपाल और दो सदन विधान परिषद एवं विधान सभा शामिल हैं। सात राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है और शेष 22 राज्यों में राज्यपाल और राज्य विधान सभा की व्यवस्था विद्यमान है। इसके अतिरिक्त सात संघ राज्य क्षेत्रों में से दो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों नामतः दिल्ली और पुदुचेरी की भी अपनी विधानसभाएँ हैं।

### लोकतंत्र में चुनाव का महत्व

किसी भी लोकतंत्र में चुनावों का महत्व निम्नलिखित आधार पर होता है— नेतृत्व का चुनाव: चुनावों में भाग लेकर, प्रत्येक नागरिक राजनेता या राजनीतिक दल के पक्ष में वोट देकर अपना नेता चुन सकता है।

**नेतृत्व परिवर्तन:** चूँकि किसी भी लोकतंत्र में नागरिक अंतिम अधिकारी होते हैं, इसलिए वे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं यदि उन्हें मौजूदा सरकार की शर्तें पसंद नहीं हैं। वे अपने वोटों का चयन बहुत सावधानी से करके और उन्हें वोट देने से पहले राजनीतिक दल के बारे में सोच-विचार करके सरकार बदल सकते हैं।

**राजनीतिक भागीदारी:** देश के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, अगर किसी को लगता है कि कोई मुद्दा ऐसा है जिसे अधिकांश या सभी राजनीतिक दल संबोधित नहीं कर रहे हैं या उनके समाधान में कुछ संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, तो वे हमेशा उस चर्चा में भाग ले सकते हैं या तो शासी निकायों के सामने अपनी राय रखकर या सुधार लाने के लिए खुद राजनीतिक दल बनाकर।

**स्व-सुधारात्मक प्रणाली:** भारतीय चुनाव प्रणाली में मौजूद नियमितता के कारण यह राजनीतिक दलों के काम पर एक तरह की जाँच का काम करती है, इस तथ्य को दोहराते हुए कि अगर पार्टी अपने काम में पर्याप्त कुशल नहीं है, तो वे बाद में सरकार नहीं बनाएंगे। इसलिए राजनीतिक दलों के पास जनता से वोट पाने के लिए अच्छा काम करने का एक नियमित प्रदर्शन होता है।

**मतदाता पंजीकरण:** नागरिकता अधिनियम के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के योग्य होते हैं। मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की सुविधा भी दी जाती है।

**उम्मीदवारों का नामांकन:** किसी भी निर्वाचन में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित तिथी तक नामांकन दाखिल करना होता है। इसके बाद नामांकन पत्रों की जाँच और सत्यापन किया जाता है।

**चुनाव प्रचार:** चुनाव प्रचार के दौरान, राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आचार संहिता बनाई जाती है, जिसका पालन अनिवार्य है।

**मतदान प्रक्रिया:** मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से होता है। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने पहचान पत्र की पुष्टि के बाद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालते हैं।

**मतगणना और परिणाम:** चुनाव समाप्त होने के बाद मतगणना की जाती है, और परिणाम घोषित किए जाते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह विजयी घोषित होता है। निर्वाचन प्रक्रिया में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग भारतीय चुनाव प्रणाली में तकनीकी सुधार भी लगातार हो रहे हैं तथा चुनाव को और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग बहुत अधिक प्रचालन में है इससे न केवल चुनाव को सुगमता से करवाने में सफलता हासिल होती है अपितु नागरिकों को भी जागरूक करवाया जाता है इस प्रक्रिया में शामिल कुछ तकनीकें हैं।

**इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM):** यह पद्धति 1982 में पेश की गई थी। यह मशीनें मतदान प्रक्रिया को न केवल अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाती हैं अपितु समय का बचाव भी करती है। हैं। ईवीएम पारंपरिक मतदान पेटी प्रणाली की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसके साथ सहज छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यदि इसमें कोई तकनीकी खराबी आती है तो खराब होने से पहले तक इसमें रिकॉर्ड किये गए वोट सुरक्षित रहते हैं और उनके लिये दोबारा मतदान की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, ऐसी स्थिति के निवारण के लिये प्रत्येक मतदान केंद्र में एक अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था रहती है।

**वोटवेरिफायबल पेपर ऑडिट (VVPAT)** इसे 2013 में शुरू किया गया, यह मंड के साथ उपयोग में आता है और मतदाताओं को उनके वोट की पुष्टि करने की सुविधा देता है। जिसकी सहायता से मतदाता को यह जानकारी मिल जाती है कि ईवीएम के माध्यम से दिया गया उसका मत वैध था या नहीं। साथ ही, इसे रिकॉर्ड के रूप में मशीन में भी संचित कर लिया जाता है ताकि अंतिम परिणाम के बाद उत्पन्न किसी वाद-विवाद की स्थिति में इसका प्रयोग प्रमाण के तौर पर किया जा सके।

**ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण:** मतदाता सूची में नाम दर्ज करने और संशोधन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए।

**भारतीय चुनाव आयोग के सामने मुख्य चुनौतियाँ**

**मतदाताजागरूकता और शिक्षा:** मतदाताओं में पर्याप्त जागरूकता की कमी से वोट देने में उदासीनता और गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, जिससे चुनाव की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आम चुनावों के बारे में मतदाताओं को सूचित करने व जागरूक करने के लिए और उन्हें लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पूरे भारत में सभी फेसबुक उपयोगकर्ताओं को मतदान दिवस के लिए सतर्कता संदेश भेजा जाता है जिसका कई बार दुरुपयोग किया जाता है।

**धनबल और बाहुबल का प्रभाव:** चुनावों में धन का प्रभाव और हिंसा, मतदाताओं को प्रभावित करने और निष्पक्षता को चुनौती देने में सक्षम हैं। चुनाव जीतने के लिये उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में की शबाहुबल बड़ी भूमिका होती है। यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी पर अब बाकी प्रांतों में भी फैल रही है। इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और रसूख के लिये इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

**राजनीतिक प्रचार चुनाव:** चुनाव लड़ने वाली प्रत्येक पार्टी की एक विशेष विचारधारा और नीतियों का सेट होता है। उन्हें प्रचार करने और मतदाताओं को इकट्ठा करने के लिए लगभग दो सप्ताह तक राजनीतिक अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से, उन्हें मतदाताओं को अच्छी नीतियों और योजनाओं के साथ आश्वस्त करके नैतिक रूप से ऐसा करने की आवश्यकता है। भारत में, उन्हें खर्च की एक विशेष सीमा दी गई है, जिसके बाद वे अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तय सीमा के बाद भी ये राजनेता भ्रष्टाचार के सरे हत्कंडे अपनाते हैं। जिनके उपर अंकुश लगाना निर्वाचन आयोग के लिए कठिन होता है।

**भारतीय राजनीति में चुनाव आयोग की भूमिका:** भारतीय चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of India ECI) की स्थापना की गई है। ECI की जिम्मेदारियों में शामिल हैं:— चुनाव की घोषणा और संचालन, चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट की निगरानी, मतदाता सूची का रखरखाव, आचार संहिता का प्रवर्तन, चुनावी अनियमितताओं की रोकथाम इत्यादि।

**भारतीय चुनाव प्रणाली के विभिन्न स्तर**

यह चुनाव प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है, जिसमें विभिन्न स्तरों पर चुनाव होते हैं। जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है:

**लोकसभा:** भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाते हैं उससे आम चुनाव कहा जाता है। इसके लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसमें सबसे पहले शामिल है:

**प्रथम-पास-द-पोस्ट प्रणाली (First & Past & The & Post System)**

चुनावी प्रक्रिया की निगरानी भारतीय चुनाव आयोग (ECI) करता है, जो एक स्वतंत्र निकाय है। लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव प्रथम- पास द पोस्ट प्रणाली पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार निर्वाचित होता है। इसके साथ- साथ मतदाताओं की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोट-वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

**राज्यसभा:** यह भारतीय संसद का उच्च सदन है इसके अधिकांश सदस्यों का चुनाव राज्यों विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

**विधानसभा चुनाव:** राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं।

**स्थानीय निकाय चुनाव:** पंचायत, नगरपालिका और अन्य स्थानीय निकायों के लिए चुनाव करवाने का दायित्व भी निर्वाचन आयोग का ही है।

**निर्वाचन प्रणाली की प्रक्रिया**

**निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन:** निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है, ताकि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो सके।

**मतदाता पंजीकरण:** नागरिकता अधिनियम के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के योग्य होते हैं। मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की सुविधा भी दी जाती है।

**उम्मीदवारों का नामांकन:** किसी भी निर्वाचन में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित तिथी तक नामांकन दाखिल करना होता है। इसके बाद, नामांकन पत्रों की जांच और सत्यापन किया जाता है।

**चुनाव प्रचार:** चुनाव प्रचार के दौरान, राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आचार संहिता बनाई जाती है, जिसका पालन अनिवार्य है।

**मतदान प्रक्रिया:** मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के माध्यम से होता है। मतदाता अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपने पहचान पत्र की पुष्टि के बाद अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालते हैं।

**मतगणना और परिणाम:** चुनाव समाप्त होने के बाद मतगणना की जाती है, और परिणाम घोषित किए जाते हैं। जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह विजयी घोषित होता है।

**निर्वाचन प्रक्रिया में तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग:** भारतीय चुनाव प्रणाली में तकनीकी सुधार भी लगातार हो रहे हैं तथा चुनाव को और अधिक निष्पक्ष बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग बहुत अधिक प्रचालन में है। इससे न केवल चुनाव को सुगमता से करवाने में सफलता हासिल होती है अपितु नागरिकों को भी जागरूक करवाया जाता है। इस प्रक्रिया में शामिल कुछ तकनीकें हैं।

**इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन:** (EVM) यह पद्धति 1982 में पेश की गई थी। यह मशीनें मतदान प्रक्रिया को न केवल अधिक कुशल और विश्वसनीय बनाती हैं अपितु समय का बचाव भी करती है। ईवीएम पारंपरिक मतदान पेट्टी प्रणाली की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि इसके साथ सहज छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। यदि इसमें कोई तकनीकी खराबी आती है तो खराब होने से पहले तक इसमें रिकॉर्ड किये गए वोट सुरक्षित रहते हैं और उनके लिये दोबारा मतदान की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही, ऐसी स्थिति के निवारण के लिये प्रत्येक मतदान केंद्र में एक अतिरिक्त ईवीएम की व्यवस्था रहती है।

**वोटवेरिफायबल पेपर ऑड:** (VVPAT) इसे 2013 में शुरू किया गया, यह EVM के साथ उपयोग में आता है और मतदाताओं को उनके वोट की पुष्टि करने की सुविधा देता है। जिसकी सहायता से मतदाता को यह जानकारी मिल जाती है। कि ईवीएम के माध्यम से दिया गया उसका मत वैध था या नहीं। साथ ही, इसे रिकॉर्ड के रूप में मशीन में भी संचित कर लिया जाता है ताकि अंतिम परिणाम के बाद उत्पन्न किसी वाद-विवाद की स्थिति में इसका प्रयोग प्रमाण के तौर पर किया जाता है।

**ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण:** मतदाता सूची में नाम दर्ज करने और संशोधन की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए।

**भारतीय चुनाव आयोग के सामने मुख्य चुनौतियाँ**

**मतदाताजागरूकता और शिक्षा:** मतदाताओं में पर्याप्त जागरूकता की कमी से वोट देने में उदासीनता और गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, जिससे चुनाव की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आम चुनावों के

बारे में मतदाताओं को सूचित करने व जागरूक करने के लिए और उन्हें लोकतंत्र के पर्व में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए पूरे भारत में सभी फेसबुक उपयोगकर्ताओं को मतदान दिवस के लिए सतर्कता संदेश भेजा जाता है जिसका कई बार दुरुपयोग किया जाता है।

**धनबल और बाहुबल का प्रभाव:** चुनावों में धन का प्रभाव और हिंसा, मतदाताओं को प्रभावित करने और निष्पक्षता को चुनौती देने में सक्षम हैं। चुनाव जीतने के लिये उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। यह समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी पर अब बाकी प्रांतों में भी फैल रही है। इसमें उनकी मदद कुछ राजनीतिक दल करते हैं जो धन और रसूख के लिये इन्हें चुनाव मैदान में उतारते हैं और बदले में इन्हें राजनीतिक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

**राजनीतिक प्रचार चुनाव:** चुनाव लड़ने वाली प्रत्येक पार्टी की एक विशेष विचारधारा और नीतियों का सेट होता है। उन्हें प्रचार करने और मतदाताओं को इकट्ठा करने के लिए लगभग दो सप्ताह तक राजनीतिक अभियान चलाने की आवश्यकता होती है। आदर्श रूप से, उन्हें मतदाताओं को अच्छी नीतियों और योजनाओं के साथ आश्चर्य करके नैतिक रूप से ऐसा करने की आवश्यकता है। भारत में, उन्हें खर्च की एक विशेष सीमा दी गई है, जिसके बाद वे अधिक पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक तय सीमा के बाद भी ये राजनेता भ्रष्टाचार के सरे हत्कंडे अपनाते हैं। जिनके उपर अंकुश लगाना निर्वाचन आयोग के लिए कठिन होता है।

**संभावित समाधान**

**स्वतंत्र चुनाव आयोग:** हमारे देश में चुनावों की देखरेख एक स्वतंत्र और शक्तिशाली चुनाव आयोग (EC) द्वारा की जाती है। इसमें न्यायपालिका के समान ही स्वायत्तता होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जाती है। एक बार नियुक्त होने के बाद CEC राष्ट्रपति या सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है।

**ड्रोन एवं अन्य तकनीक**

2015 के बिहार विधान सभा चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की निगरानी के लिये ड्रोन का इस्तेमाल, अनिवासी भारतीयों के लिये सेमी इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान, मोबाइल फोन पर मतदाता केंद्र की अवस्थिति की जानकारी तथा महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये पूरी तरह महिला पदाधिकारियों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्रों की व्यवस्था इत्यादि कुछ अन्य महत्वपूर्ण नवाचार भी अपनाए गए। इसकी मदद से निर्वाचन को पूरी तरह से निष्पक्ष बनाया जा सकता है।

**'ई-विजन 2020'**

पारदर्शी और विश्वसनीय निर्वाचन के लिये सूचना प्रौद्योगिकी के महत्त्व को मद्देनजर रखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. नसीम जैदी ने 'ई-विजन 2020' का विचार प्रस्तुत किया है जिसमें कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मोबाइल एप्लिकेशन, सोशल मीडिया, ज्ञान प्रबंधन आदि को शामिल किया गया है। इससे चुनाव संबंधी सूचनाओं और सेवाओं के तीव्र प्रसार में भी मदद मिलेगी। मतों की गणना को और भी अधिक तीव्र व सुरक्षित बनाने के लिये आयोग ने टोटलाइजर मशीन का उपयोग करने की मंशा भी व्यक्त की है। इस पद्धति का उपयोग करके निर्वाचन को और बेहतर और कम अवधि में पूर्ण किया जा सकता है।

**जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी ई-जिला कार्यक्रम**

मतदाता पहचान-पत्र की प्रामाणिकता को और भी अधिक पुख्ता बनाने के लिये निर्वाचन आयोग ने अपने सर्वर को प्रत्येक जिले

के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संबंधी रजिस्टर के सर्वर के साथ जोड़ने का निर्णय लिया है ताकि किसी मतदाता का मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होने के साथ ही उसका नाम स्वतः ही मतदाता सूची से हट जाए। इस पहल को 'ई-जिला कार्यक्रम' के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंजाब राज्य में शुरू किया गया था।

### लोकप्रिय भागीदारी

चुनावी प्रक्रिया की गुणवत्ता का आकलन करने का एक अन्य विकल्प इस पद्धति का उपयोग करना है। यदि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है तो लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना जारी नहीं रखेंगे। मतदान प्रतिशत लोगों की चुनाव भागीदारी को मापने का एक सामान्य तरीका है। वास्तव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं का प्रतिशत मतदान के रूप में जाना जाता है। भारत में पिछले 50 वर्षों के दौरान मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा है या बढ़ा है। भारत में गरीब, अशिक्षित और दलित लोग अमीरों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की तुलना में अधिक संख्या में मतदान करते हैं।

### निष्कर्ष

भारतीय चुनाव प्रणाली एक विशाल और जटिल तंत्र है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षित और बढ़ावा देने का काम करता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इसकी आधारभूत संरचना और संचालन ने इसे दुनिया के सबसे स्थिर और व्यापक लोकतंत्रों में से एक बना दिया है। इस प्रणाली की चुनौतियों को समझना और उनके समाधान की दिशा में कार्य करना भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक होगा। निर्वाचन पद्धति के तरीके पूरी तरह से दोष रहित नहीं हैं क्योंकि पदप्राप्ति के इच्छुक प्रत्याशी अक्सर मतदाताओं को घूस देकर अथवा डरा धमकाकर कर जोर-जबर्दस्ती से उनका मत अपने लिए प्राप्त कर लेते हैं। विभिन्न प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग अपने उचित प्रतिनिधित्व से वंचित रह जाते हैं। राजनीतिक तथा अन्य प्रकार के दल कभी-कभी चुनाव के लिए किसी अयोग्य उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं। ऐसी हालत में उस दल के लोगों को चाहे अनचाहे उसी को अपना मत देना पड़ता है। इन दोषों को दूर अथवा कम करने और मतदान को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए समय-समय पर निर्वाचन की विभिन्न प्रणालियों का विकास किया गया है।

### संदर्भ सूची

1. राममेहर, - सुशील कुमार, (2023), "भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका", इनोवेटिव रिसर्च थॉट्स, वॉल्यूम, 9 अंक (2), पेज न. 163-165.
2. शाक्य, ए., (2023), "पंचायत राज की अवधारणा और विकास एक अध्ययन", ज्ञानवर्धक शोध: एक बहुविषयक पत्रिका, वॉल्यूम 1 अंक (11), पेज न. 5-10.
3. बीरेन्द्र वर्मा और प्रो० जितेन्द्र बहादुर सिंह, (2023), "भारत में चुनाव आयोग की भूमिका एवं महत्व", और विकास, वॉल्यूम 18 अंक (1), पेज न. 39-42.
4. गोदारा, पी. (2023), "भारत में क्षेत्रीय दलों की सरकारें: 2000 से वर्तमान तक के विशेष संदर्भ में", AGPE The Royal Gondwana Research Journal of History, Science, Economic, Political and Social Science, वॉल्यूम 4, अंक (12), पेज न. 10-13.
5. कौशल, ए. (2023), "भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका अवलोकन", Research Review International Journal of Multidisciplinary, वॉल्यूम 8 अंक (7), पेज न. 162-166.

6. डा० पल्लवी सिंह. (2022). भारतीय लोकतंत्र में मतदान व मतदाता की भूमिका एवं महत्व। Ajasra ISSN 2278-3741, वॉल्यूम, 11 अंक (3), पेज न. 106-113.
7. बीरेन्द्र वर्मा, और प्रो० जितेन्द्र बहादुर सिंह, (2023), "भारत में चुनाव आयोग की भूमिका एवं महत्व," Humanities and Development, वॉल्यूम 18 अंक (1), पेज न. 39-42.
8. मदान और अमन, (2024), "संविधान और संवाद की संस्कृति", पाठशाला भीतर और बाहर, 19, 21-27. 9. सिंह, यू. (2022), "भारत में चुनाव सुधार की प्रक्रिया का व्यवहारिक: विश्लेषण", Research Review International Journal of Multidisciplinary वॉल्यूम, 7 अंक (6), पेज न. 68-71.
9. रानी, एस. (2022), "चुनाव-और-प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ: एक विकल्प", अभिनव अनुसंधान विचार, वॉल्यूम, 8 अंक (2), पेज न. 85-90.
10. राममेहर और सुशील कुमार (2023), "भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका" Innovative Research Thoughts, वॉल्यूम, 9 अंक, (2), पेज न. 163-165.
11. इरेटन, सी., और पोसेटी, जे. (2022), "पत्रकारिता, फर्जी खबर और दुष्प्रचार: पत्रकारिता शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पुस्तिका", UNESCO पब्लिशिंग हाउस.
12. अनुराग श्रीवास्तव, (2019), "भारत में निर्वाचन प्रणाली", International Journal of Reviews and Research in Social Sciences, वॉल्यूम, 7 अंक (1), पेज न. 193-198.
13. आर. सी. ग्रवाल, "वयस्क मताधिकार" राजनीतिक विज्ञान के सिन्दांत, (1982) पेज न. 392
14. www-India-gov-in